अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशोधन) / / 2020, लखनऊः: दिनांकःःमार्च 20 ,2020

–ः आदेश ः–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–392 / 2020 दिनांक 28.02.2020 द्वारा माह मार्च–2020 हेतु पीठ–झॉसी में लम्बित दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतुं दिनांक 23.03.2020 से 28.03.2020 तक युगल पीठ का गठन किया गया था, जिसमें न्यायिक सदस्य पीठ–झॉसी श्री बी0एम0त्रिपाठी तथा विभागीय सदस्य श्री विजय कुमार,सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–2,कानपुर को नामित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–417 / इन्फ्रासेल–इलाहाबाद दिनांकित 19.03.2020 द्वारा आगरा, गौतमबुद्ध नगर, संभल, लखनऊ में कोविड–19 के संक्रमित खतरे को दृश्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय दिनांक 28.03.2020 तक बंद कर दिये गये हैं तथा अन्य जिलों में भी केवल अति–आवश्यक(अर्जेन्ट) कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री,भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.03.2020 की रात्रि 8 बजे राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए यह कहा गया है कि दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारत के समस्त नागरिकों को ''जनता क्फर्यू''का पालन करना है। अर्थात उक्त अवधि में भारत के सभी नागरिक को अपने घरों में ही रहना और घर से बाहर नहीं निकलना है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खण्डपीठ में नियत वादों की सुनवाई कराने हेतु अन्य जिलों के अधिवक्ता / व्यापारी भी आते हैं जिसके कारण न्यायालय में काफी भीड़भाड़ रहती है, मुख्यालय के आदेषांक–392 / 2020 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा दिनांक 23.03.2020 से 28.03.2020 तक झॉसी में गठित खण्डपीठ निरस्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित किया जाये।

ह0—20.3.2020
प्रभारी अध्यक्ष
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृश्ठांकन संख्या– वा0क0अधि0 / यु0पी0नि0 / 541 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1–संबंधित सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण।

2–कमिष्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेष,लखनऊ।

3–मुन्सरिम / वरिश्ठ सहायक(यात्रा भत्ता / विवरण / कम्प्यूटर) मुख्यालय।

4–संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबंधक
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेष,लखनऊ।